आईटी इंजीनियर से ठगे एक लाख रुपए

ओटीपी से पहनाई टोपी... पुलिस की सजगता से आधी राशि वापस

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9926064287

क्रेडिट कार्ड की राशि वापस कराने के नाम पर ठग ने आईटी इंजीनियर से एक लाख रुपए ले लिए। धोखाधड़ी होने पर पीड़ित युवक ने साइबर हेल्प डेस्क पर शिकायत की। जांच के बाद पुलिस के प्रयासों से पीड़ित को आधी राशि (50 हजार रुपए) वापस मिले तो उसने पुलिस अधिकारियों का सम्मान किया।

जोन-1 के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आलोक शर्मा को फरियादी दीपक पिता वर्जन मेहता निवासी सिलीकान सिटी ने बताया कि एक साल पहले उसने एचडीएफसी बैंक में क्रेडिट कार्ड का अप्लाय करने कस्टमर केयर नंबर सर्च किया था। इस पर बैंक अधिकारी ने बताया कि आपको लाइफ टाइम फ्री वाला कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड की एक वर्ष की फीस 10 हजार रुपए रहेगी। इसमें जीएसटी अलग से लगेगा। बैंक की कार्रवाई से संतोष नहीं होने पर ट्वीटर हेल्ड पर पोस्ट किया।

15 जून को आया कॉल: 15 जून को अज्ञात नंबर से ठग ने कॉल करते हुए बताया कि क्रेडिट कार्ड का शुल्क वापस कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको कस्टर आईडी नंबर बताना होगा। ई-मेल एड्रेस के साथ मोबाइल पर मैसेज आएगा। कुछ देर बाद पीड़ित को ओटीपी आया। ठग ने ओटीपी नंबर लेकर 50 हजार रुपए निकाल लिए। जब पीड़ित ने कहा कि मेरे खाते से पैसे निकल गए हैं, तब ठग ने दोबारा कॉल कर बताया कि टेक्निकल एरर आने से पैसे निकले हैं, पुनः ओटीपी आएगा। दूसरी बार पीड़ित के खाते से 50 हजार रुपए निकल गए।

ऐसे लगी जानकारी

पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने ठग का मोबाइल नंबर ट्रेस किया, जो राकेश कुमार निवासी बिहार के नाम से रजिस्टर्ड होना पाया गया। मोबाइल नंबर से पुलिस ने ठग के एक्सिस बैंक का पता किया। बैंक अधिकारी को ठगी की जानकारी दी। इसके बाद बैंक ने ठग के खाते फ्रीज करते हुए पीड़ित के खाते में 50 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए।

खजराना ब्रिज के उतार पर बैरिकेड्स से ट्रैफिक जाम

इंदौर। खजराना फ्लाई ओवरब्रिज की एक लेन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दो दिन पहले फीता काटकर शुरू की थी, जहां वीआईपी सुरक्षा के लिए बैरिकेड लगाए गए थे, जिन्हें दो दिन बाद तक नहीं हटाया है, जिससे अब यहां ट्रैफिक जाम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर आईडीए के अधिकारियों का कहना है कि यह सुगम यातायात की दृष्टि से रखे गए थे। बुधवार को एलआईजी की तरफ जाने वाली सड़क पर दो बेरिकेड्स रखे गए थे, इनके बीच में गेप थी, जो वाहन चालकों को खुली चुनौती दे रही थी, जिसके कारण यहां से निकलने वाली कारों को स्क्रैच लगे। ट्रैफिक जाम में फंसे वाहनों के हॉर्न चीख-चीखकर वाहन मालिक के गुस्से का प्रदर्शन कर रहे थे। धीरे-धीरे लंबा जाम लगने लगा।

पीपुल्स समाचार

गार्ड को ट्रक ने रौंदा... इलाज के दौरान तोड़ा दम

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9926064287

कार कंपनी में पदस्थ गार्ड को तेज गति से आ रहे ट्रक ने रौंद दिया। वह बुधवार तड़के 5 बजे गोदाम तरफ जाने के लिए सड़क पार कर रहा था, तभी हादसे का शिकार हो गया। मृतक का नाम विष्णुप्रसाद पिता रामचंद्र निवासी हाट मैदान मांगलिया है। वह लसूड़िया क्षेत्र स्थित कार कंपनी के शोरूम पर गार्ड का काम करता था। गंभीर घायल हालत में उसे इलाज के लिए एमवाय अस्पताल लाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मर्ग कायम किया है।

इसी प्रकार गांधीनगर के नजदीक हादसे में रिटायर्ड थानेदार की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी घायल हुई है। वह छोटे बेटे से मिलने इंदौर आए थे। मृतक का नाम छीतर पिता तंवरसिंह निवासी मंडलावदा धार है। दशहरे के दूसरे दिन वह अपने छोटे बेटे ओम प्रकाश से मिलने के लिए आए थे। इंदौर से वापस घर जा रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए।

हत्या करने वाले दोषी, आजीवन कारावास

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9926064287

सात साल पहले की थी वारदात

विवाद में युवक की ईंट और चाकू मारकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी माना है। चारों को आजीवन कारावास और अर्थदंड दिया है। सात साल पहले की इस वारदात के दो आरोपी जेल और दो जमानत पर हैं।

एजीपी उमेश यादव ने बताया कि 12 अप्रैल, 2017 को लसूड़िया पुलिस को फरियादी अनिल रायपुरिया ने बताया था कि वह एमआर-11 स्थित चाय की होटल पर बैठा था, तभी किसी ने आकर बताया कि तुम्हारे भाई लाड़सिंह को देशी कलाली के सामने कुछ युवक चाकू, ईंट से हमला कर रहे हैं। मैं तुरंत घटनास्थल पहुंचा, तब तक आरोपी भाग निकले। तत्काल भाई को लेकर अस्पताल पहुंचा, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी।

मामले में पुलिस ने दूसरे दिन आरोपी दर्शन उर्फ विक्की पिता प्रभाकर लम्हाते निवासी नंदबाग कॉलोनी, राहुल पिता राजेश गुप्ता निवासी नंदबाग कॉलोनी, कैलाश उर्फ चीना पिता जगदीश बंजारा निवासी बिष्ठान जिला खरगोन और सचिन पिता किशनराव मराठा निवासी द्वारकापुरी को गिरफ्तार कर लिया था। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, पुलिस द्वारा जब्त चाकू और अन्य साक्ष्यों को विश्वसनीय मानते हुए प्रथम श्रेणी न्यायाधीश पारस जैन ने चारों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

हत्या के बाद से दर्शन और सचिन जेल में हैं। सुनवाई के दौरान आरोपी राहुल कोर्ट में पेश नहीं हुआ था, इसलिए कोर्ट ने उसका गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। कैलाश को कोर्ट ने तत्काल जेल भेजने के आदेश दिए हैं। आरोपी और मृतक मजदूरी करते थे।

कॉलेज की बस में छात्राओं से छेड़छाड़ अभाविप कार्यकर्ताओं ने किया विरोध

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9926064287

शहर में लगातार छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। बुधवार को आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज की छात्राओं से बस चालक, हेल्पर ने छेड़छाड़ की। घटना की जानकारी मिलने पर अभाविप के सैकड़ों कार्यकर्ता कॉलेज पहुंचे। प्रबंधन से चर्चा करने के बाद दोषी चालक, हेल्पर पर भंवरकुआ थाने में केस दर्ज कराया।

छात्राओं ने शिकायत में बताया है कि बस का ड्राइवर और हेल्पर छात्राओं को अकेले बैठाकर ले जाते थे और इस दौरान अश्लील बातें करते थे। उन्होंने छात्राओं से कहा कि वे उन्हें पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। जब तक वे पास में नहीं बैठेंगी, गाड़ी नहीं चलाएंगे। घटना की जानकारी मिलते ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि छात्राओं की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद कॉलेज प्रशासन और बस सेवा की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

ग्रामीण एसपी को ज्ञापन

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9926064287

दशहरा पर देवगुराड़िया में असामाजिक तत्वों ने रावण रूपी पुतले पर राहुल गांधी का फोटो लगाकर जलाया था। इसके विरोध में जिला कांग्रेस द्वारा खुड़ैल थाने पर ज्ञापन दिया गया था। कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस ने पुलिस अधीक्षक हितिका वासल को ज्ञापन सौंपकर तीन आरोपियों पर प्रकरण दर्ज करने की मांग की। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव, राधेश्याम पटेल, रीना बौरासी, मोतीसिंह पटेल, सोहराब पटेल, शक्तिसिंह गोयल आदि उपस्थित थे।

निगम ने छोड़ा मलबा, ट्रैफिक जवान ने उठाया

इंदौर। निगम के ठेकेदार ने इंडस्ट्री हाउस के सामने बुधवार को मुर्रम-बोल्डर से गड्ढे भरे थे। इस दौरान मुर्रम और बोल्डर का कुछ हिस्सा वहां से उठाने के बजाय छोड़ दिया। इसके कारण एलआईजी से गिटार तिराहे की ओर जाने वाला यातायात बाधित हो रहा था। एलआईजी की ओर जाने वाले वाहनों की लंबी लाइन लग रही थी। इंडस्ट्री हाउस तिराहे पर यातयात जाम में फंसे आम जनता की परेशानी को देखते हुए तिराहे पर ड्यूटी में लगे ट्रैफिक थाने के प्रधान आरक्षक राजेश देवड़ा ने तत्काल फावड़ा उठाकर मलबे को हटाकर यातायात सुचारू रूप से संचालित कराया।

तस्कर को मंदसौर से पकड़ा

इंदौर। ड्रग्स तस्करी में फरार युवक को विजयनगर पुलिस ने मंदसौर से पकड़ा। पूर्व में पुलिस ने इसके साथी यश उर्फ नन्नू को 12.9 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा था। यश ने पुलिस को तस्कर अर्जुन मीणा का नाम बताया था। अर्जुन ने पूछताछ में बताया कि वह प्रतापगढ़ के देवलड़ी गांव से मादक पदार्थ लेकर उसे देशभर में बेचता है।

दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों से मारपीट के वीडियो वायरल

गूंडागर्दी... सिर्फ एक मामले में प्रकरण दर्ज

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9926064287

शहर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। हाल ही में दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में मारपीट से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, जिनमें खुलेआम गुंडागिर्दी और हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का आश्वासन दिया है।

पहली घटना

आजाद नगर थाना क्षेत्र में घर के सामने रेत और गिट्टी डालने को लेकर पड़ोसियों के बीच झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हमला कर दिया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी महिलाओं सहित कई लोगों पर हमला कर रहे हैं। पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर और जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र के कुख्यात गुंडे के परिवार ने इस घटना को अंजाम दिया।

दूसरी घटना

विजयनगर थाना में गाड़ी टकराने को लेकर दो बदमाशों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपियों ने युवक को थप्पड़ मारे और घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, लेकिन अभी तक विजयनगर पुलिस ने इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं की। वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करने की बात कही, वहीं आश्वासन दिया कि जल्द ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

भाजपा का सदस्य बनाने के नाम पर की गई रुपयों की मांग

फर्जी कार्यकर्ता के खिलाफ क्राइम ब्रांच में शिकायत, की जा रही जांच

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9926064287

भाजपा के सदस्य बनाने के नाम पर रुपयों की मांग करने वाले फर्जी कार्यकर्ता के खिलाफ भाजपा ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई है। क्राइम ब्रांच को निमेष पाठक पिता पंचप्रकाश पाठक, नि. 15, झाबुआ टॉवर द्वारा की गई शिकायत में बताया गया कि मैं निमेष पाठक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होकर विधि प्रकोष्ठ महानगर संयोजक के पद पर कार्यरत हूं। मंगलवार की दोपहर 3.04 बजे मोबाइल नं. 7880298199 से मेरे मो.नं. 9713312688 पर एक कॉल आया, जो कि टू कालर एप पर मोहक शर्मा का नाम दर्शित हो रहा था। जब मैंने कॉल उठाया एवं उस व्यक्ति से बात की, तब उस व्यक्ति द्वारा मुझसे कहा गया कि हम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के सदस्यता अभियान के टारगेट को पूरा करने में आपकी मदद करने के लिए भाजपा की ओर से कार्य कर रहे हैं। हमारे पास हितग्राहियों का डॉटा है व आपके क्षेत्र के रहवासियों के मोबाइल नंबर हैं, जिसके माध्यम से हम आपके दो दिन में 10,000 सदस्य प्रति व्यक्ति 5 रुपए के हिसाब से बना देंगे। अगर आप ज्यादा भी सदस्य बनवाना चाहते हैं तो हम आपके एक लाख तक भी सदस्य बना सकते हैं।

मुझे यह मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ तो मैंने उसे कुछ देर ठहरने का बोलकर कॉल रख दिया एवं मेरे पास बैठे भाजपा इंदौर के कार्यालय मंत्री ऋषिसिंह खनूजा से मैंने बात की। तब उनके द्वारा भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों से चर्चा कर इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी कार्य के लिए न ही अधिकृत हैं और न ही इस प्रकार की कोई सेवा दे रहा है। उक्त व्यक्ति द्वारा मो.नं. 7880298199 से कॉल कर स्वयं को भाजपा का कार्यकर्ता होना बताकर भाजपा के सदस्यता अभियान में हमारे नाम से सदस्य बनाए जाने को लेकर प्रलोभन देकर पैसे की मांग कर रहा है, जबकि उक्त व्यक्ति न तो भाजपा का कार्यकर्ता है एवं न ही भाजपा के किसी जिम्मेदार पद पर है। क्राइम ब्रांच द्वारा मोबाइल नंबर के आधार पर जांच की जा रही है।

चिमनी की लपटों से होटल वृंदावन में आग, होटलकर्मियों ने बुझाई

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9926064287

भारतीय जनता पार्टी की स्कीम नंबर 78 में संचालित होटल वृंदावन में बुधवार दोपहर 2 बजे चिमनी की लपटों से अचानक आग लग गई। आग विकराल रूप लेती इसके पहले ही कर्मचारियों ने काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड टीम से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार को वृंदावन रेस्टोरेंट के तीसरे माले की छत पर बने शेड में अचानक धुआं निकलने लगा।

यहां लगा पूरा शेड जलकर खाक हो गया। बताया जाता है कि चिमनी से निकली लपटों के चलते यहां आगजनी हुई है। घटना के समय छत पर कुछ लोग मौजूद थे, जिन्हें कर्मचारियों ने नीचे भेज दिया। इसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। करीब डेढ़ साल पहले भी इसी तरह से आगजनी की घटना हो चुकी है। गनीमत यह रही कि उस समय भी घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई थी और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू कर लिया था।

JM FINANCIAL | **जेएम फायनेंशियल एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड**
कार्पोरेट आइडेंटिफाई नम्बर: U67190MH2007PLC74287
पंजीकृत ऑफिस : 7वीं मंजिल, सिनर्जी, अप्पासाहेब मराठा मार्ग, प्रभादेवी, मुम्बई-400 025,
संपर्क व्यक्ति: 1. गौरव श्रीवास्तव-9479942515, 2. विशाल केतेले-9584966653 3. ज्योति सावंत -022-62241676
Website — www.jmfinancialarc.com

ई-नीलामी बिक्री सूचना-आगामी बिक्री

पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने धारा 5(1)(बी) के तहत सभी अधिकारों, शीर्षक और ब्याज के साथ अंतर्निहित सुरक्षा हित के साथ ऋण का एक पूल (नीचे उल्लिखित ऋण सहित) सौंपा है। जेएमएफएआरसी (जेएम) के पक्ष में 29 मार्च, 2023 ("असाइनमेंट एग्रीमेंट") के एक असाइनमेंट समझौते के माध्यम से वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 ("सरफेसी अधिनियम") का प्रवर्तन। (यहां असाइनी के रूप में संदर्भित) जेएमएफएआरसी-अरण्या-ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य कर रहा है। सूचित किया जाता है कि PCHFL को असाइनमेंट/सेवा अनुबंध के माध्यम से सभी परिचालन और प्रक्रिया प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए सेवा प्रदाता/संग्रह एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत और नियुक्त किया गया है।

उधारकर्ताओं से देय राशि की वसूली के लिए सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत सुरक्षित ऋणदाता के अधिकृत अधिकारी द्वारा यहां उल्लिखित सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा करने के लिए, अचल संपत्ति की खरीद के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जैसा कि यहां बताया गया है, जो कब्जे में है, 'जैसा है जहां है के आधार पर', 'जैसा है जो है के आधार पर' और 'जो है वह है के आधार पर', जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

ऋण कोड/शाखा/ उधारकर्ता(ओं)/ सह-उधारकर्ता(ओं)/ गारंटर (ओं)	मांग सूचना दिनांक और राशि	संपत्ति का पता अंतिम	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि जमा (ईएमडी) (आरपी 10%)	कुल बकाया राशि (16-10-2024)
ऋण कोड क्रमांक: 20900041559, इंदौर- रॉयल गोल्ड कॉम्प्लेक्स (शाखा), विकास परिहार (उधारकर्ता), सपना परिहार (सह-उधारकर्ता 1)	दिनांक: 23-08-2021, रु.11,50,730/- (रु. ग्यारह लाख पचास हजार सात सौ तीस मात्र)	संपति का पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसकी सीमा इस प्रकार है :- प्लॉट नंबर 108 का उत्तरी भाग, वार्ड नंबर 08, सीताराम नगर कॉलोनी, पटवारी हल्का नंबर 24 सीताराम नगर कॉलोनी, ग्राम मेडकी वक रोड, मध्य प्रदेश IN 455001 सीमाए इस प्रकार हैं :- उत्तर: प्लॉट नंबर 109 दक्षिण: प्लॉट नंबर 108 का शेष भाग पूर्व: अन्य की भूमि पश्चिम: कॉलोनी रोड	रु. 11,56,800/-, (रु. ग्यारह लाख छप्पन हजार आठ सौ मात्र)	रु. 1,15,680/-, (रु. एक लाख पंद्रह हजार छह सौ अस्सी मात्र)	रु. 19,09,062/-, (रु. उन्नीस लाख नौ हजार बासठ मात्र)

ई-नीलामी दिनांक : 08-11-2024, 11.00 से 1.00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)
बोली जमा करने की अंतिम तिथि-07-11-2024, 4 बजे से पहले
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://www.jmfinancialarc.com/Home/Assetsforsale OR https://www.bankauctions.in.

सरफेसी अधिनियम के तहत उधारकर्ता/गारंटर/बंधक को वैधानिक 15 दिनों की बिक्री सूचना

उपरोक्त उल्लिखित ऋणी/गारंटर/एतद्वारा धारा 13(2) नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान नीलामी की तिथि से पहले तक अर्जित ब्याज के साथ पूर्ण रूप से करने के लिए देखा जाता है, जिसमें विफल होने पर संपत्ति की नीलामी/बेचा जाएगी और शेष राशि यदि कोई होगी उधारकर्ता/गारंटर से ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा

दिनांक: 17 अक्टूबर, 2024
स्थान: म प्र
हस्ते/-(प्राधिकृत अधिकारी)
(अरण्य-ट्रस्ट)

सार्वजनिक सूचना

ICICI Bank शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लि., कार्यालय नं. 201-बी, दूसरी मंजिल, रोड नं.1 प्लाट नं.-बी3, वाईफाई आईटी पार्क, वागले इंडस्ट्रीयल एस्टेट, ठाणे (वेस्ट) महाराष्ट्र-400604

निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) ने आईसीआईसीआई बैंक से प्राप्त ऋण सुविधा(यों) के लिए मूलधन और ब्याज की अदायगी में चूक की है। ऋण(ओं) को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति(ओं) (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत उन्हें उनके अंतिम ज्ञात पतों पर एक नोटिस जारी किया गया था। हालाँकि, यह तामील नहीं हुआ है और इसलिए उन्हें इस सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से अधिसूचित किया जा रहा है।

स. क्र.	ऋणकर्ता का नाम /सह-ऋणकर्ता / ग्यारंटर/(ऋण खाता नंबर) एवं पता	सुरक्षित संपत्ति का पता/ बंधक संपत्ति का पता	डिमांड नोटिस दिनांक/ डिमांड नोटिस राशि(रु.)	एनपीए दिनांक
1.	गोवर्धनदास कुन्दनलाल शाजापुर/कैलाश राजानी/कविता राजानी/कैलाश चन्द्र पुत्र मूलचन्द्र राजानी/ 076705006073/1, जीके इंटरप्राइजेज, सोमवारिया बाजार, शाजापुर कंस चौराहा शाजापुर मध्यप्रदेश शाजापुर 465001	वार्ड 45, सोमेश्वर मार्ग, मकान नंबर 45 पुराना, वार्ड नंबर 17 पुराना, संपत्ति स्थित पटवारी हल्का नंबर 40, मकान नंबर 45 पुराना, वार्ड नंबर 17, गांधी सोमेश्वर मार्ग, मध्य प्रदेश, शाजापुर-465001	सितम्बर 23, 2024 रु. 19,69,631.33/-	10/07/ 2024

नोटिस की प्रतिस्थापित तामील के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उपरोक्त उधारकर्ता / और / या उनके गारंटर (लागू होते हैं) को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर बकाया भुगतान करने की सलाह दी जाती है अन्यथा प्रतिभूतिकरण और पुनर्निमाण और वित्तीय संपत्ति और सुरक्षा हित अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
दिनांक : 17, अक्टूबर 2024
स्थान : इन्दौर
भवदीय, अधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

अंचल कार्यालय : महाराष्ट्र साहित्य सभा भवन, 688, म.गां, मार्ग, इन्दौर, फोन नं. 0731-2433887
E-mail : cmmarc_ind@mahabank.co.in
प्रधान कार्यालय : लोकमंगल 1501, शिवाजी नगर, पुणे-5

अचल सम्पत्तियों के आधिपत्य की सूचना नियम 8(1)

यद्यपि प्राधिकृत अधिकारी **बैंक ऑफ महाराष्ट्र** द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित का प्रभावीकरण अधिनियम 2002 (54 का 2002) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन)अधिनियम की धारा 13(12) सपठित नियम 8 के अंतर्गत निम्न ऋण गृहिताओं को उन के सम्मुख **अंकित तिथि को मांग नोटिस** जारी कर नोटिस प्राप्ति दिनांक से 60 दिन के अन्दर बैंक के नोटिस में वर्णित राशि अदा करने की अपेक्षा की गई थी। नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट/ स्पीड पोस्ट/दस्ती/कोरियर द्वारा भेजी गई थी। बकायादारों / जमानतदारों एवं सर्वसाधारण जनता को सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) एवं सपठित नियम 8 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न वर्णित खातों में बंधक संपत्ति पर उनके सम्मुख अंकित तिथि को कब्जा प्राप्त कर लिया है। जिसका विवरण निम्न है ऋणगृहिताओं / जमानतदारों को विशेषतः तथा समस्त जनता को साधारणतः सतर्क किया जाता है कि इन संपत्तियों के संबंध में कोई संव्यवहार न करें तथा यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह **बैंक ऑफ महाराष्ट्र** के ऋणगृहिताओं के समक्ष वर्णित राशि एवं ब्याज के चार्ज (प्रभार) के अधीन होगा।

क्रं.	ऋणी / जमानतदार का नाम	बकाया राशि	बंधक संपत्ति का विवरण	मांग सूचना पत्र दिनांक / धारण तिथि
01.	उधारकर्ता-मेसर्स होटल श्री सिद्धि प्रोपराईटर श्री अर्जुन मालाकार पिता भोलेनाथ मालाकार	2,00,99,473.00 + दिनांक 13.06.2024 से अनावेदित ब्याज	बंधक संपत्ति के सभी प्रमुख भाग भवनो और संरचनाओं/आवसीय मकान सहित सर्वे नंबर 490/4/2 और 490/4/1/1 क्षेत्राफलः 0.259 हेक्टेयर मुख्य सड़क बसवा तहसील सनावद और जिला खरगोन (म.प्र.), **चतुर्सीमा: पूर्व:** परसराम तापीराम की भूमि, **पश्चिम:** इंदौर खंडवा रोड, **उत्तर:** विमल की भूमि चांद पिता रामकिशन, **दक्षिण:** मंत्री जी की भूमि, (**संपत्ति मालिक**-श्री अर्जुन मालाकार पिता भोलेनाथ मालाकार)	13.06.2024 / 14.10.2024

सुरक्षित सम्पत्तियों के एवज में उपलब्ध समय के आधार पर उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों की और आकर्षित किया जाता है।
नोट : यह सूचना अंग्रेजी व हिन्दी भाषा में प्रकाशित की गई है किसी विवाद कि स्थिति में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित सूचना की मान्य होगी।

स्थानः इन्दौर, दिनांक : 16.10.2024
प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र